विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
10(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस की सीमा प्रदेश तक सीमित है?	प्रदेश में जारी किये गये शस्त्र लाइसेंस की सीमा अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट विधिमान्यता के क्षेत्र तक सीमित रहती है।
(ख)	क्या प्रश्नकर्ता के शस्त्र लाइसेंस को ऑल इंडिया करने का कोई प्रावधान है?	जी हां। आयुध नियम-2016 के नियम-19 में अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता क्षेत्र के विस्तार के प्राविधान है।
(ग)	यदि है तो कब होगा अगर नहीं है तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी?	उक्त प्राविधान के आलोक में शासनादेश संख्या-I/887435/2025(6-5099 /190/ 2025), दिनांक 21.02.2025 द्वारा प्रश्नकर्ता के शस्त्र लाइसेंस की सीमा को उत्तर प्रदेश से बढ़ाकर सम्पूर्ण भारतवर्ष किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किया जा चुका है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांकः 21-02-2025

विषय- श्री शाहनवाज खान पुत्र श्री सरफराज खान निवासी मोंगरा बिल्डिंग चकरौता रोड निकट विजय टाकिज, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर के शस्त्र लाइसेंस संख्या-1472/थाना कोतवाली नगर/2004 सहारनपुर पर धारित एन0पी0बोर रिवाल्वर संख्या-ए 5989 आफ .32 बोर की सीमा उत्तर प्रदेश से बढाकर सम्पूर्ण भारतवर्ष किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-811/आयुध सहायक, दिनांक 23.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री शाहनवाज खान पुत्र श्री सरफराज खान निवासी मोंगरा बिल्डिंग चकरौता रोड निकट विजय टाकिज, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर के शस्त्र लाइसेंस संख्या-1472/थाना कोतवाली नगर/2004 सहारनपुर पर धारित एन0पी0बोर रिवाल्वर संख्या-ए 5989 आफ.32 बोर की सीमा उत्तर प्रदेश से बढाकर सम्पूर्ण भारतवर्ष(स्थानीय प्रतिबन्धों के अधीन) किया जाता है।शासनादेश संख्या-3/2018/181सी0वि0/छः-पु0-5-2018-800(06)/2018,दिनांक28-03-2018द्वारा प्राविधानित किया गया है कि अनुदत्त क्षेत्र विधिमान्यता/सीमा विस्तार अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता अवधि के पश्चात् समाप्त नहीं होगी और नवीनीकरण प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के समय क्षेत्र विधि मान्यता में फेर-फार नहीं करेगा, अर्थात् एक बार जो सीमा विस्तार प्रदान कर दिया गया है,वह लाइसेंस के नवीनीकरण अवधि तक समाप्त नहीं होगी, उसके बाद तब तक मान्य होगी जब तक उसे पुनः बदला न जाए ।

3. प्रश्नगत शस्त्र लाइसेंस के सीमा विस्तार के साथ निम्न शर्तें भी प्रभावी रहेंगी-

(1) आदेश जारी करने से पूर्व यह समाधान कर लिया जाएगा कि आवेदक का शस्त्र आयुध नियमावली, 2016 की अनुसूची-1 के कैटेगरी-III(च-II और छ-II के सिवाय) की श्रेणी के अन्तर्गत आता है, तथा

(2) शस्त्र लाइसेंस की वैधता तिथि समाप्त होने के पूर्व ही लाइसेंसी द्वारा अपने शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण करा लिया जायेगा। प्रश्नगत शस्त्र लाइसेंस पर एन0डी0ए0एल0 सिस्टम के अन्तर्गत यू0आई0एन0 नम्बर-330160002553942014 अंकित है।

(3) किसी भी मामले में किसी तात्विक साक्ष्य के आधार पर नवीनीकरण प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि सम्पूर्ण भारत के लिए क्षेत्र विधिमान्यता और अधिक अपेक्षित नहीं है, तो वहाँ वह क्षेत्र विधिमान्यता के पुनर्विलोकन के लिए संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को सिफारिशें भेज सकेगा।

4. अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार उक्त शस्त्र लाइसेंस पर कृपया अपने स्तर से पृष्ठांकन करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव

Signed by
Rajesh Kumar Agrawal
Date: 21-02-2025 10:46:59

संख्या तथा दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-श्री शाहनवाज खान पुत्र श्री सरफराज खान निवासी मोंगरा बिल्डिंग चकरौता रोड निकट विजय टाकिज, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।